क्रम-संख्या—1107

(67)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

12

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1987

श्रावण 7, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1127/सतह—वि—1—1 (क)—15—1987

लखनऊ, 29 जुलाई, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 29 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1987 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1987

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1987)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 18 मई, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 में नयी धारा 13-क का बढ़ाया जाना

2--संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"13-क--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी नियत करना वह उचित समझे, किसी सरकार, व्यक्ति या निकाय या व्यक्तियों के समुदाय को, चाहे वह निगमित या अनिगमित हो, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन बनाये गये समस्त या किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1127(2)/XVII-V-1-1—(KA)15-1987

Dated Lucknow, July 29, 1987

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil, Tatha Alcohol, Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1987:

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1987

(U. P. Act no. 16 of 1987)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

It is hereby, enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 18, 1987.

Insertion of new section 13-A in U. P. Act no. 1 of 1939

2. *After* section 13 of the United Provinces Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :

"13-A. The State Government may, by notification and subject to such conditions as it may think fit to prescribe, exempt any Government, person or body or association of persons, whether incorporated or not, wholly or partly from the operation of all or any of the provisions of this Act or all or any of the rules made thereunder.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 10 of 1937

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order.
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 99 सा0 (विधा0)--(1781)--1987--850 (मैक0)।